



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव/ Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/179

दिनांक: 05/05/2017

कार्यालय आदेश

विद्या-परिषद की दिनांक 29.04.2017 को हुई 26^{वीं} बैठक में मद संख्या 01 (3.30) के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)/ राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (NCC)/राज्य स्तरीय क्रीडा (Sports-State Level) कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2% अंकों का अधिभार दिए जाने का निर्णय लिया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
05/05/17

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को विद्या-परिषद की अगली बैठक की कार्रवाई के लिए।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. परीक्षा विभाग।
7. संबंधित फाइल।